भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1591
31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु रूपरेखा

1591. **डा. सिकंदर कुमारः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय इस्पात उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल खनन और स्मार्ट विनिर्माण को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट रूपरेखा, बजटीय आवंटन और राजकोषीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन वित्तीय और परिचालन मानकों का ब्यौरा जिनके आधार पर मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लघु इस्पात निर्माताओं को कच्चे माल की पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने के लक्ष्य के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू इस्पात उद्योग को अनुचित रूप से कम कीमतों और डंपिंग के माध्यम से किए जा रहे आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) इस्पात मंत्रालय ने इस्पात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें कृत्रिम बृद्धिमता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), डिजिटल ट्विन्स, ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सहित उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल हैं।

(ख) मेकॉन लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा दिया गया था क्योंकि यह लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/36/97-वित्त दिनांक 09.10.1997 के अनुसार मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड को पूरा करता है।

(ग) इस्पात क्षेत्र एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहां निर्णय अलग-अलग इस्पात कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दृष्टिकोणों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

(घ) सरकार ने घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

जारी...2/

i. केंद्रीय बजट 2026-27 में, घरेलू निर्माताओं को सहायता देने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे: -

क. फेरो-निकेल पर शून्य मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) यथावत रखा गया है।

ख. फेरस स्क्रैप, मैग्नीशियम ऑक्साइड (एमजीओ) कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स जिनका उपयोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के विनिर्माण में किया जाता है और कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिंएटेड स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क छूट को दिनांक 31.03.2028 तक बढ़ा दिया गया है।

ii. कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइप और लोह के होलो प्रोफाइल, मिश्रधातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) (चीन पीआर), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से), मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु इस्पात के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद (वियतनाम से), कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (चीन पीआर से) से संबंधित पाटन रोधू शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।

iii. चीन और वियतनाम से आने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स पर प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

iv. सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आने वाली वस्तुओं पर तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में "गैर-मिश्रधातु और मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" के आयात पर सुरक्षा शुल्क लगाया है।

*****